हिंसा का स्वरूप एवं विभाग

हिंसा का स्वरूप एवं विभाग

ईश्वर प्राप्ति के इच्छुक योगाभ्यासी के लिये व्यव्हार में अहिंसा का पालन करना सर्वोपरि तथा अनिवार्य बताया गया है। जब तक मनुष्य हिंसा के स्वरूप को अच्छी प्रकार से नहीं जान लेता , तब तक हिंसा को छोड़कर अहिंसा का पालन नहीं कर सकता। अतः हिंसा के स्वरूप को विभाग सहित अच्छी प्रकार जान लेना चाहिए। महर्षी पतञ्जलि जी ने अपने अद्वितीय ग्रन्थ "योग दर्शन " में तथा महर्षि व्यासजी ने इसी योग दर्शन के भाष्य में हिंसा के स्वरूप व विभाग का जैसा वर्णन किया है , उसे इस लेख में दर्शाया गया है .

मन , वाणी व शरीर से सर्वदा -सर्वथा सभी प्राणियों के प्रति वैर-भाव छोड़कर , प्रीतिपूर्वक व्यव्हार करना 'अहिंसा' है और मन , वाणी व शरीर से अन्याय पूर्वक प्राणियों को दुःख देना , दुःख देने का प्रयास करना या वैर-भाव रखना 'हिंसा' कहलाती है। 'किसी प्राणी को दुःख देना' या 'दुखी हो जाना' मात्र हिंसा की परिभाषा नहीं है। यदि दोषी व्यक्ति को न्यायपूर्वक उसके सुधार व कल्याण के लिये अधिकारी व्यक्ति द्वारा प्रीतिपूर्वक दण्ड दिया जाए और उस दण्ड से दोषी व्यक्ति को दुःख हो तो ऐसा दुःख देना हिंसा के अंतर्गत नहीं आएगा जैसे - ईश्वर ,न्यायकारी राजा , न्यायाधीश , योग्य गुरु व धार्मिक माता-पिता द्वारा दिया गया उचित दण्ड। इसके साथ यह मान्यता भी पूर्ण ठीक नहीं है की 'दोषी व्यक्ति को दण्ड देना हिंसा में नहीं आता ' । यदि दोषी व्यक्ति को अन्यायपूर्वक , अनुचित (न्यून या अधिक) उसके अहित के लिये , वैर भाव पूर्वक , अनधिकारी व्यक्ति द्वारा दण्ड दिया जाय , तो वह भी हिंसा में आ जाता है। जैसे अन्यायकारी राजा , न्यायाधीश , अयोग्य गुरु , माता-पिता द्वारा दिया गया अनुचित दण्ड।

शरीर से किसी भी प्राणी को अन्याय व वैरभावपूर्वक दुःख पहुँचाना 'शारीरिक हिंसा ' कहलाती है , जैसे किसी को पीटना , हाथ-पाँव तोड़ देना , जान से मार देना इत्यादि। जब किसी प्राणी को अन्याय व वैरभावपूर्वक वाणी से दुःख पहुँचाया जाता है , तो वह 'वाचिक हिंसा ' कहलाती है , जैसे कठोर बोलना , झूठा आरोप लगाना , अपमानजनक बोलना इत्यादि। जब किसी प्राणी के प्रति मन में द्वेष भावना रखी जाए , उसे मारने या हानि पहुँचाने की योजना बनाई जाए , तो वह 'मानसिक हिंसा ' कहलाती है।

प्रस्तुत चित्र में हिंसा के ८१ भेद व उपभेद किये गए है . प्रथम भेद तिन प्रकार का है - (१) कृत हिंसा , (२) कारित हिंसा , (३) अनुमोदित हिंसा। जब मनुष्य स्वयं हिंसा करता है , तब वह 'कृत हिंसा ' कहलाती है। जब स्वयं हिंसा न करके आदेश , प्रेरणा , भय प्रलोभन आदि के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के द्वारा हिंसा करवाता है , तो वह '

कारित हिंसा ' कहलाती है और जब किसी हिंसक व्यक्ति या हिंसा का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से समर्थन किया जाता है , उसे अच्छा समझा जाता है , तो वह 'अनुमोदित हिंसा ' कहलाती है . अनुमोदित हिंसा की अपेक्षा कारित-हिंसा और कारित हिंसा की अपेक्षा कृत-हिंसा अधिक दोषयुक्त होती है।

कृत , कारित व अनुमोदित इन तिन प्रकार की हिंसा में प्रत्येक के तिन-तिन भेद और होते है -

(१) लोभपुर्वक
(२) क्रोधपूर्वक
(३) मोहपुर्वक

ऐसी हिंसा जिसके पीछे धन , संपत्ति , यश , सुख आदि की प्राप्ति का लोभ कारण रूप में विद्यमान हो , उसे 'लोभ पूर्वक हिंसा ' कहते है। जैसे अधिक व शीध्र धन कमाने के लिए कम तोलना , मिलावट करना , चोरी करना , शोषण करना , माँस-चमड़े की प्राप्ति के लिये पशु वध करना , अपने यश को बढ़ाने के लिये प्रतिद्वन्द्रियों पर झूठे आरोप लगाना , झूठी गवाही देना , छल-कपट का व्यव्हार करना आदि। ये सभी उदाहरण 'लोभ पूर्वक हिंसा ' के है .

ऐसी हिंसा जिसके पीछे क्रोध कारण रूप में विद्यमान हो , उसे 'क्रोध पूर्वक हिंसा ' कहते है। इसने मेरा अपमान किया है , आज्ञा नहीं मानी , विरोध किया है , सहयोग नहीं किया , मेरी निंदा की है , हानी की है , इस प्रकार का विचार करके , क्रोध में बदले की भावना उठाकर , किसी व्यक्ति को कठोर दंड देना , अधिक दंड देना , हानी पहुंचाना , अन्याय करना , अपमानित करना इत्यादि 'क्रोध पूर्वक हिंसा ' के उदाहरण है।

ऐसी हिंसा जिसके पीछे मोह (=अज्ञान=भ्रम) कारण रूप में विद्यमान हो उसे ' मोहपूर्वक हिंसा ' कहते है। जैसे मंदिर में पशु बलि चढ़ाने से देवी-देवता प्रसन्न हो जाएंगे , ईश्वर का दर्शन हो जाएगा , पुण्य मिलेगा , पुत्र हो जाएगा , रोग दूर हो जाएगा , मुकदमा जीत जाऊंगा , कोई सिद्धि प्राप्त कर लूँगा , इस प्रकार विचार करके नर बलि या पशु बलि चढ़ना इत्यादि , क्योंकि ऐसा व्यक्ति मोह (= अज्ञान = भ्रम) के कारण हिंसा करता है , अतः इसे ' मोहपूर्वक हिंसा ' कहते है। मोह-अज्ञान ले कारण ही मनुष्य अधर्म को धर्म , अन्याय को न्याय , पाप को पुण्य , असत्य को सत्य , अकर्तव्य को कर्तव्य मानकर , अनिष्ट कार्य करता रहता है , जिसमे अन्यों को पीड़ा (हानी) पहुँचती रहती है , यह सब 'मोहपूर्वक हिंसा ' के अंतर्गत ही आते है।
लोभ , क्रोध व मोहपूर्वक की गयी हिंसा पुनः प्रत्येक के तीन-तीन भेद किए है - (१)

मृदु , (२) मध्य और (३) अधिमात्र । लोभ , क्रोध , मोह की मात्रा कम होने के कारण जब हिंसा भी कम मात्रा में की जातो है , तो उसे मृदु स्तर की हिंसा कहते है । इसी प्रकार लोभ , क्रोध आदि के मध्य स्तर व अधिक स्तर होने से हिंसा भी मध्य स्तर व अधिमात्र स्तर की होती है ।

इन मृदु , मध्य , अधिमात्र स्तर की हिंसा में भी पत्येक के पुनः तीन-तीन भेद किए गए है । यथा मृदुस्तर की हिंसा के तीन भेद - (१) मृदु-मृदु (२) मध्य मृदु और (३) तीव्र मृदु । मृदु स्तर की हिंसा में सबसे कम हिंसा हा होना 'मृदु-मृदु' प्रकार की हिंसा है । 'मृदु-मृदु ' हिंसा से कुछ अधिक हिंसा को 'मध्य मृदु ' हिंसा कहते है तथा मृदु स्तर की ही सीमा में सबसे अधिक हिंसा का होना 'तीव्र-मृदु ' प्रकार की हिंसा है । यह 'तीव्र-मृदु ' हिंसा 'मध्य-स्तर' की हिंसा की निम्नतम सीमा से कुछ कम होती है तथा 'मध्य मृदु ' हिंसा से कुछ अधिक होती है । इसी तरह से 'मध्य-स्तर ' व 'अधिमात्र स्तर' की हिंसा के भी तीन-तीन भेद होते है ।

इसके कारण निम्न प्रकार से हो सकते है -
१ - (मृदु-मृदु) = किसी के कान पकड़ना
२ - (मध्य मृदु) = थप्पड़ मारना
३ - (तीव्र मृदु) = धक्का मारना
४ - (मृदु मध्य) = डंडा मारना
५ - (मध्य -मध्य) = लात , घूँसे मारना
६ - (तीव्र मध्य) = लाठी से पीटना
७ - (तीव्र मृदु) = हाथ-पौव तोड़ देना
८ - (तीव्र मध्य) = हाथ-पाँव काट देना
९ - (तीव्र - तीव्र) = जान से मार देना

इस प्रकार कृत,कारित व अनुमोदित इन तीन हिंसाओं के २७-२७ भेद होने से कुल ८१ भेद हिंसा के बन जाते है । चित्र में संख्या सहित स्पष्टीकरण किया गया है , इसी प्रकार असत्य ,स्तेय , अब्रह्मचर्य व परिग्रह के भी ८१-८१
भए होते है ।

आभार :- आचार्य ज्ञानेश्वरार्य , दार्शनिक निबंध से |